संख्या–6 एस० एस०(6)37 / 2023 –2357/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 28/05/2025.

XX

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना''के तहत कुल ₹ 1042.2720 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख सताईस हजार दो सौ) रुपये मात्र की लागत पर ''पूरक योजना'' एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–1984, दिनांक–07.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना''के तहत कुल ₹ 1042.2720 लाख (दस करोड़ बयालिस लाख सताईस हजार दो सौ) रुपये मात्र की लागत पर ''पूरक योजना'' एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I, II एवं III संलग्न है।

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6 एस०एस०(6)37 / 2023–3257, दिनांक–08.07.2024 द्वारा ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा उत्साहवर्द्धक फलाफल के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6 एस०एस०(6)37 / 2023–1984 दिनांक–07.05.2025 द्वारा उक्त ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना'' राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के तहत ''पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना'' की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–2028) के तहत वर्ष 2027–28 में राज्य का मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 12.70 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है ताकि बिहार राज्य मत्स्य उत्पादन में अधिशेष (Fish Surplus State) राज्य बन सके तथा कृषकों का वार्षिक आय दोगुना हो सके। राज्य के अनेक कृषक अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के हैं, जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। इन समुदायों के अनेक कृषकों ''पठारी क्षेत्र" में निवास करते हैं। ''पठारी क्षेत्र" राज्य का अत्यंत ही पिछड़ा एवं वंचित क्षेत्र है जहाँ मत्स्य पालन हेतु

आधारभूत संरचनाओं की अत्यंत कमी है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के कृषकों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने उन्हे विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि वे मत्स्य पालन करेंगे तथा उनका वार्षिक आय दोगुना हो सके।

3. योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

4. इस योजना के तहत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी अनुलग्नक–II एवं III के रूप में संलग्न है।

5. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।

6. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यक्तानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से दिशा निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।

7. इस योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–6 एस०एस०(6)37/2023–1984 दिनांक–07.05.2025 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में किया जाएगा।

8. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे एवं कार्य की प्रगति के संबंध में उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

9. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

10. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

11. इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

12. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव

एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)37/2023 के पृष्ठ– /टि०, दिनांक– .

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)37/2023 के पृष्ठ– /टि० तथा डायरी संख्या– , दिनांक– .

14. वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

27/5/25

(अपर सचिव)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–28/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–28/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–28/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–28/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–.....28./.05...../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)37/2023 – 2357/पटना–15, दिनांक–...28.../...05../2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की "पूरक" योजना पर होने वाले संभावित व्यय का विवरणी :–

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत यूनिट (1 यूनिट– 0.4 एकड़ जलक्षेत्र)	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101	0101.33.01 –सब्सिडी	126.00	1042.272	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	कोषागार, बिहार (संबंधित)
		योग :–	**126.00**	**1042.272**		✓

कुल (दस करोड़ बयालीस लाख सताईस हजार दो सौ) रुपये मात्र।

2357
28/05/25

[signature] 27/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की पूरक योजना हेतु वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना (अनुदान 80 प्रतिशत) सात निश्चय–2 के तहत (इकाई लागत 10.34 लाख/प्रति यूनिट (1 यूनिट–0.4 एकड़ जलक्षेत्र)						
		अनुसूचित जाति (विपत्र कोड–02.2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01–सब्सिडी मद)				कुल युनिट (सं0)	कुल जलक्षेत्र (एकड़)	कुल अनुदान
		युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि	सब्सिडी			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	2025-26	126.00	50.4000	1302.8400	1042.2720	**126.0000**	**50.4000**	**1042.2720**

2357
28/05/25

27/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–III

वित्तीय वर्ष 2025–26 में **पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की "पूरक योजना"** हेतु ज़िलावार लक्ष्य की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	"पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" (सब्सिडी 80 प्रतिशत) (इकाई लागत 10.34 लाख/प्रति यूनिट (1 युनिट–0.4 एकड़) अनुसूचित जाति (विपत्र कोड–02.2405007890101 विषय शीर्ष 0101.33.01–सब्सिडी मद)	
		भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)
1	*2*	*3*	*4*
1	बांका	25.00	206.800
2	औरंगाबाद	5.00	41.360
3	गया	2.00	16.544
4	कैमूर	10.00	82.720
5	नवादा	18.00	148.896
6	जमूई	59.00	488.048
7	मुंगेर	2.00	16.544
8	रोहतास	5.00	41.360
कुल योग		**126.00**	**1042.2720**

2357
28/05/25

27/5/25

सरकार के अपर सचिव